

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): STATE VIGILANCE BUREAU P.S. (थाना): SVB PANCHKULA Year (वर्ष): 2017
FIR No. (प्र.सू. सं.): 0010 Date and Time of FIR (प्र.सू. की दिनांक और समय): 15/12/2017 18:18 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	409
2	IPC 1860	420
3	IPC 1860	467
4	IPC 1860	468
5	IPC 1860	471
6	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(c)
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
1 Day (दिन): Intervening Days Date from (दिनांक से): 13/03/2014 Date To (दिनांक तक): 10/06/2015
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): 11:10 hrs Time To (समय तक): 10:00 hrs
- (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 06/10/2017 Time (समय): 01:01 hrs
- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 010 Date and Time (दिनांक और समय): 15/12/2017 18:18 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): EAST, 3 Km(s) Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): Panchkula,
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):
District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): Sh Om Pakash DSP
(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1967 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	SVB PANCHKULA, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA
2	Present Address	Panchkula, SVB PANCHKULA, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA
3	Permanent Address	Panchkula, SVB PANCHKULA, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 0-9466201155

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	K.C Goyal Adhyaksh Pharmacy			1. Adhyaksh Pharmacy Council Hary,PANCHKULA SECTOR- 5,PANCHKULA,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
1	COIN AND CURRENCY	INDIAN RUPEE	498900 Rupess	4,98,900.00

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 4,98,900.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में प्रबन्धक थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकूला मण्डल पंचकूला, सै0.17 पंचकूला।श्रीमान जी निवेदन है कि यह जांच क्रमांक 7 दिनांक 06.05.2015 पंचकूला मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के यादि क्र0 31/5/2015-1 H.B-(II) चण्डीगढ़ दिनांक 04-05-2015 अनुसार मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग व महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, ह0 पंचकूला के क्रमांक नं0 6235- 6236 आई-1/रा0चै0ब्यू0 (ह0) पंचकूला दिनांक 06-05-2015 के अनुसार शिकायतकर्ता श्री पंकज जैन उपाध्यक्ष व अन्य मैम्बर की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी। जिसमे कुल 4 आरोप थे जिसमे आरोप क्रमांक 2 यह था कि श्री के0सी0 गोयल अध्यक्ष, फार्मसी कौंसिल, हरियाणा व श्री सोहन लाल द्वारा गलत तरीके से फण्ड से पैसा निकालकर सरकार को वित्तिय हानि पहुंचाना तथा श्री के0सी0 गोयल अध्यक्ष द्वारा मनमाने तरीके से फार्मसी कौंसिल का खाता राष्ट्रीयकृत बैंक से बन्द करवाकर गैर सरकारी बैंक में खुलवाया गया और डा0 प्रवीन सेठी फार्मसी कौंसिल हरियाणा के चुनाव की एवज में एक माह की तन्खवा के बराबर मानदेय देकर नियमों की उल्लंघना की गई तथा श्री के0सी0 गोयल ने निजि कोर्ट केसों की पैरवी के लिये अपने आप फार्मसी कौंसिल से केसों की फीस लेकर फार्मसी कौंसिल को वित्तिय हानि पहुंचाना। जांच में पाया गया है कि वर्ष 2014 व 2015 में ई0आई0सी0 मीटिंग में शामिल होने पर टी0ए0डी0ए0 का जो क्लेम फार्मसी कौंसिल के सदस्यों द्वारा लिया गया है वह फार्मसी कौंसिल के नियमानुसार लिया गया। इस सम्बन्ध में फार्मसी कौंसिल द्वारा दिनांक 04-06-2007 को प्रस्ताव President will be paid TA /DA on his special visit once a week on the same rate including regular meeting पास किया हुआ है। दिनांक 10-06-2014 को उपरोक्त सदस्यों द्वारा 17 बिन्दुओं पर प्रस्ताव पास करके रजिस्ट्रार सुरेन्द्र यादव व प्रधान के0 सी0 गोयल द्वारा अपने हस्ताक्षर करके प्रस्ताव रजिस्ट्रार को बन्द किया गया था परन्तु पड़ताल से पाया गया है कि श्री के0 सी0 गोयल द्वारा दिनांक 10-06-2014 के प्रस्ताव पर अपने व सुरेन्द्र यादव के हस्ताक्षरों पर फ्लयूड लगाकर बिना सदस्यों की हाजरी के दोबारा से अपने निजि फायदे के लिये तथा सरकार को हानि पहुंचाने की नीयत से प्रस्ताव नम्बर 18,19,20,21,22 व 23 बढ़ाकर प्रस्ताव नं0 23 में Bank account of the council shall be operated with the President any one from cashier or registrar- President can visit the office at any time mostly alternative days at least thrice in a week कर दिया। जिस पर श्री के0 सी0 गोयल प्रधान व सुरेन्द्र यादव रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर हैं। श्री सुरेन्द्र यादव रजिस्ट्रार ने प्रस्ताव नं0 17 से 23 पर अपने हस्ताक्षर के सम्बन्ध में शपथ पत्र पेश किया है कि उसके इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं है। परन्तु श्री के0सी गोयल अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव दिनांक 10-06-2014 में एक दिन की बजाए टैम्परिंग करके सप्ताह में तीन बार आने जाने का प्रस्ताव जोड़कर फार्मसी नियमों की उल्लंघना करके टी0ए0डी0ए0 प्राप्त किया है और आज तक भी प्राप्त कर रहा है। इस प्रकार प्रतिवादी श्री के0सी0 गोयल अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव दिनांक 10-06-2014 में टैम्परिंग करके अपने पद का दुरुपोग करके अपने निजी फायदे के लिए सरकार को 4,98,900 रुपये की वित्तिय हानि पहुंचाई है। श्री के.सी. गोयल द्वारा अपने निजी केस के लिये फार्मसी काउंसिल से 8,39,800 रुपये गलत तरिके से लिये थे जो कि आडिट आब्जैक्शन होने पर श्री के. सी. गोयल द्वारा 6,56,115 रुपये की राशि वापिस जमा करवाई गई है परन्तु 1,83,685 रुपये बकाया था अतः प्रतिवादी श्री के0 सी0 गोयल के विरुद् भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409, 420, 467, 468, 471 भा0द0स0 व 13(1) C, 13(1) D पी0 सी0 एक्ट 1988 का अपराध बनता है। इसलिए प्रतिवादी श्री के0सी0 गोयल, अध्यक्ष हरियाणा फार्मसी काउंसिल के विरुद् उक्त धाराओं के तहत अभियोग दर्ज किये जाने का सुझाव दिया गया। जांच रिपोर्ट का परिक्षण करने उपरान्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के यादि क्रमांक 31/5/2015-1 H.B-(II) चण्डीगढ़ दिनांक 29-11-2017 अनुसार रिपोर्ट श्री के0सी0 गोयल अध्यक्ष हरियाणा फार्मसी काउंसिल के विरुद् उक्त धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये हैं। इसलिये लेख तैयार करके अभियोग अंकित करवाने के लिये थाना भेजा जा रहा है। स्पेशल रिपोर्ट अफसरान बाला की सेवा में भिजवाई जावे और अभियोग के सम्बन्ध में अफसरान बाला से आगामी तफतीश के आदेश प्राप्त करने उपरान्त मिशल मुकदमा मय रिकार्ड सहित सम्बन्धित अनुसंधान अधिकारी के हवाले की जावे और तफतीश के दौरान यदि अन्य किसी कर्मचारी, अधिकारी की मिली भगत पाई जावे तो उसे भी तफतीश के दौरान देख लिया जाये। उप पुलिस अधीक्षक, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, सैक्टर-17 पंचकूला अज थाना:- उपरोक्त तहरीर पर अभियोग नम्बर 10 दिनांक 15.12.2017 धारा 409, 420, 467, 468, 471 भा0द0स0 व 13(1)सी., 13(1)डी. पी.सी. एक्ट भ्रष्टाचार अधिनियम 1988, थाना, राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला मे अंकित करके FIR बतौर स्पेशल रिपोर्ट सम्बन्धित अफसरान बाला ईलाका मैजिस्ट्रेट पंचकूला को बदस्त EASI ऋषिपाल नं0 453/पंचकूला भिजवाई जा रही है। मिसल पुलिस तैयार करके मय असल तहरीर बदस्त EHC रविन्द्र पाल 184/PKL निज्द उप पुलिस अधीक्षक श्री औम प्रकाश, राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला को भेजी जा रही है आईन्दा तफतीश के लिये अनुसंधान अधिकारी के लिये अफसरान बाला को पत्र लिखा गया।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): suresh kumay chouhan Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 191hap to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Suresh Kumar

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendent of Police)

No. (सं.): hps

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1962				
						Is Proxitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)

